पटाखा कारोबार पर सख्ती दुकानदारों की जांच तेज

जिले में पटाखा व्यवसाय के लिए 10 व्यापारियों को मिला है लाइसेंस

संवाद न्यूज एजेंसी

बलरामपुर। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही जिले में पटाखों की बिक्री और भंडारण को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है। आग लगने की घटनाओं को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन विभाग की टीम ने पटाखा कारोबारियों की दुकानों और भंडारण स्थलों की जांच तेज कर दी है। जांच अभियान के दौरान दुकानदारों के स्टॉक का मिलान करने के साथ ही आग से बचाव के इंतजामों को भी परखा जा रहा है।

अग्निशमन विभाग के अनुसार, जिले में पटाखा बिक्री के लिए 10 व्यापारियों को लाइसेंस जारी किया गया है। इनमें जिला मुख्यालय के हरिहरगंज और मथुरा बाजार में एक-एक व्यापारी शामिल हैं। वहीं, उतरौला और तुलसीपुर तहसील क्षेत्र में चार-चार लाइसेंसधारी पटाखा व्यापारी हैं।



पटाखे की दुकान का निरीक्षण करते अग्निशमन अधिकारी। स्रोत: विभाग

त्योहारी सीजन में पटाखों की मांग बढ़ने के साथ ही बाजार में इनकी बिक्री भी तेज हो जाती है। ऐसे में सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इसे देखते हुए अग्निशमन विभाग की टीम कारोबारियों के यहां पहुंचकर उपलब्ध पटाखों के स्टॉक और उनके भंडारण की स्थिति की पड़ताल कर रही है।

अग्निशमन प्रभारी अंकित कुमार ने बताया कि दुकानों पर आग बुझाने के उपकरणों की उपलब्धता, रेत और पानी की व्यवस्था के साथ ही आपात स्थिति में बाहर निकलने के रास्तों का भी जायजा लिया जा रहा है।

कारोबारियों को निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने और ज्वलनशील सामग्री को सुरक्षित दूरी पर रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यापारी को कम से कम 200 लीटर पानी, पांच बोरी बालू और पांच अग्निशमन यंत्र (सीओटू सिलिंडर) हर हाल में रखने के निर्देश दिए गए हैं।